[प्राधिकृत अनुवाद]

हरियाणा विधान सभा

2023 का विधेयक संख्या–16 एच०एल०ए०

हरियाणा विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 2023

वित्त वर्ष 2011–12, 2012–13, 2013–14, 2014–15, 2015–16, 2016–17, 2017–18 तथा 2018–19 के दौरान कतिपय सेवाओं पर इन वर्षों के दौरान इन सेवाओं के लिए प्राधिकृत या स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई राशि को पूरा करने के लिए हरियाणा राज्य की संचित निधि में से धन के विनियोग का प्राधिकार देने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम।

1. यह अधिनियम हरियाणा विनियोग (संख्या 4) अधिनियम, 2023 कहा जा सकता है।

वर्ष 2011–12, 2012–13, 2013–14, 2014–15, 2015–16, 2016–17, 2017–18 तथा 2018–19 के दौरान कतिपय खर्च को पूरा करने के लिए हरियाणा राज्य की संचित निधि में से ₹ 263,44,69,600/–, ₹ 428,10,20,008/–, ₹ 329,67,50,893/–, ₹ 406,35,55,367/–, ₹ 1414,23,83,817/–, ₹ 256,98,07,690/–, ₹ 540,59,69,373/–, तथा ₹ 41,53,84,671/– का दिया जाना।

2. इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची के खाना 6 में विनिर्दिष्ट राशियां, जो कुल मिलाकर केवल दो सौ तिरसठ करोड़, चवालीस लाख, उनहत्तर हजार, छह सौ रुपए (₹263,44,69,600/–), केवल चार सौ अट्ठाईस करोड़, दस लाख, बीस हजार, आठ रुपए (₹428,10,20,008/–), केवल तीन सौ उनतीस करोड़, सड़सठ लाख, पचास हजार, आठ सौ तिरानवे रुपए (₹ 329,67,50,893/–), केवल चार सौ छह करोड़, पैंतीस लाख, पचपन हजार, तीन सौ सड़सठ रुपए (₹ 406,35,55,367), केवल एक हजार चार सौ चौदह करोड़, तेईस लाख, तिरासी हजार, आठ सौ सत्रह रुपए (₹ 1414,23,83,817/–), केवल दो सौ छप्पन करोड़, अठानवे लाख, सात हजार, छह सौ नब्बे रुपए (₹ 256,98,07,690/–) केवल पांच सौ चालीस करोड़, उनसठ लाख, उनहत्तर हजार, तीन सौ तिहत्तर रुपए (₹ 540,59,69,373/–) तथा केवल इकतालीस करोड़, तिरपन लाख, चौरासी हजार, छह सौ इकहत्तर रुपए (₹ 41,53,84,671/–) होती है, क्रमशः वित्त वर्ष 2011–12, 2012–13, 2013–14, 2014–15, 2015–16, 2016–17, 2017–18 तथा 2018–19 के दौरान उक्त अनुसूची के खाना 2 में विनिर्दिष्ट सेवाओं के संबंध में प्रभारों को चुकाने के लिए इन वर्षों के दौरान इन सेवाओं के लिए प्राधिकृत या स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई राशि को पूरा करने के लिए हरियाणा राज्य की संचित निधि में से भुगतान तथा उपयोग में लाई जाने के लिए प्राधिकृत की गई समझी जाएंगी।

विनियोग।

3. इस अधिनियम के अधीन हरियाणा राज्य की संचित निधि में से भुगतान तथा उपयोग में लाई जाने के लिए प्राधिकृत समझी गई राशियां, वित्त वर्ष 2011–12, 2012–13, 2013–14, 2014–15, 2015–16, 2016–17, 2017–18 तथा 2018–19 के संबंध में अनुसूची में अभिव्यक्त सेवाओं तथा प्रयोजनों के लिए विनियोजित की गई समझी जाएंगी।

अनुसूची

2011—12

मांग संख्या	सेवायें तथा प्रयोजन		अनधिक राशियां		
			विधान सभा द्वारा किए गए अनुदान	संचित निधि पर प्रभारित	योग
1	2	3	4	5	6
			₹	₹	₹
17	रोजगार	पूंजीगत	49,99,000	-	49,99,000
24	~~रोजगार~~ सिंचाई	पूंजीगत	254,64,41,437	-	254,64,41,437
42	न्याय प्रशासन	राजस्व	-	8,30,29,163	8,30,29,163
	कुल योग		**255,14,40,437**	**8,30,29,163**	**263,44,69,600**
	2012-13				
6	वित्त	राजस्व	126,52,84,230	-	126,52,84,230
21	महिला एवं बाल विकास	पूंजीगत	4,17,26,000	-	4,17,26,000
24	सिंचाई	पूंजीगत	275,22,73,407	9,23,68,859	284,46,42,266
38	लोक स्वास्थ्य एवं जलापूर्ति	राजस्व	12,93,67,512	-	12,93,67,512
	कुल योग		**418,86,51,149**	**9,23,68,859**	**428,10,20,008**
	2013-14				
6	वित्त	राजस्व	110,37,81,539	-	110,37,81,539
24	सिंचाई	पूंजीगत	213,26,30,784	6,03,38,570	219,29,69,354
	कुल योग		**323,64,12,323**	**6,03,38,570**	**329,67,50,893**
	2014-15				
24	सिंचाई	पूंजीगत	402,89,46,351	2,19,37,661	405,08,84,012
42	न्याय प्रशासन	राजस्व	-	1,15,63,420	1,15,63,420
44	मुद्रण एवं लेखन सामग्री	राजस्व	-	11,07,935	11,07,935
	कुल योग		**402,89,46,351**	**3,46,09,016**	**406,35,55,367**

मांग संख्या	सेवायें तथा प्रयोजन		अनधिक राशियां		
			विधान सभा द्वारा किए गए अनुदान	संचित निधि पर प्रभारित	योग
1	2	3	4	5	6
			2015-16		
4	राजस्व	राजस्व	1199,24,88,219	-	1199,24,88,219
24	सिंचाई	पूंजीगत	210,99,94,493	-	210,99,94,493
32	ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास	राजस्व	-	1,01,75,214	1,01,75,214
42	न्याय प्रशासन	राजस्व	-	2,97,25,891	2,97,25,891
	कुल योग		**1410,24,82,712**	**3,99,01,105**	**1414,23,83,817**
			2016-17		
6	वित्त	राजस्व	-	71,27,08,926	71,27,08,926
8	भवन एवं सड़के	पूंजीगत	-	1,98,16,000	1,98,16,000
14	शहरी विकास	पूंजीगत	91,73,870	-	91,73,870
24	सिंचाई	पूंजीगत	176,99,17,561	5,81,91,333	182,81,08,894
	कुल योग		**177,90,91,431**	**79,07,16,259**	**256,98,07,690**
			2017-18		
6	वित्त	राजस्व	375,59,93,011	73,87,65,227	449,47,58,238
24	सिंचाई	पूंजीगत	91,12,11,135	-	91,12,11,135
	कुल योग		**466,72,04,146**	**73,87,65,227**	**540,59,69,373**
			2018-19		
8	भवन एवं सड़के	पूंजीगत	-	18,36,61,000	18,36,61,000
24	सिंचाई	पूंजीगत	-	10,21,27,670	10,21,27,670
42	न्याय प्रशासन	राजस्व	-	12,95,96,001	12,95,96,001
	कुल योग		**-**	**41,53,84,671**	**41,53,84,671**

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 (1) के साथ पठित उसके अनुच्छेद 204 (1) के अनुसरण में वित्त वर्ष 2011–12, 2012–13, 2013–14, 2014–15, 2015–16, 2016–17, 2017–18 तथा 2018–19 के अनुदानों तथा विनियोगों से अधिक किए गए खर्च को पूरा करने के लिए अपेक्षित धन के लिए हरियाणा राज्य की संचित निधि में से विनियोग हेतु उपबन्ध करने के लिए पेश किया जाता है।

मनोहर लाल,
मुख्यमंत्री, हरियाणा।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) तथा (3) के अनुसरण में राज्यपाल ने हरियाणा विधान सभा से इस विधेयक को प्रस्तुत करने तथा इस पर विचार करने की सिफारिश की है।

चण्डीगढ़ :
दिनांक : 28 अगस्त, 2023

आर० के० नांदल,
सचिव।

अवधेय: उपर्युक्त विधेयक हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 128 के परन्तुक के अधीन दिनांक 28 अगस्त, 2023 के हरियाणा गवर्नमैंट गजट (असाधारण) में प्रकाशित किया था।

10563—H.V.S.—H.G.P., Pkl.